

पीठासीन अधिकारी: आर. के. मीना, अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 21/2015, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल नन्दकिशोर पुत्र श्री रामसहाय जाति कोली उम्र 41 वर्ष निवासी पुराने सिनेमा के पीछे नागौरी मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली दौसा जिला दौसा ।

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।

: गैर सायल स्वयं उपस्थित ।

–: निर्णय :-

दिनांक:- 13.09.2021

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल नन्दकिशोर पुत्र श्री रामसहाय जाति कोली उम्र 41 वर्ष निवासी पुराने सिनेमा के पीछे नागौरी मौहल्ला दौसा जिला दौसा के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है।

1. मु. सं. 400/10 दिनांक 22.05.2010 धारा 13 RPO धाना कोतवाली दौसा सजा 10.06.2010
2. मु. सं. 567/10 दिनांक 07.08.2010 धारा 13 RPO धाना कोतवाली दौसा सजा 28.09.2010
3. मु. सं. 443/10 दिनांक 09.06.2010 धारा 13 RPO धाना कोतवाली दौसा सजा 26.08.2010
4. मु. सं. 710/09 दिनांक 16.10.09 धारा 13 RPO धाना कोतवाली दौसा सजा 19.08.2010
5. मु. सं. 393/10 दिनांक 19.05.10 धारा 13 RPO धाना कोतवाली दौसा सजा 29.05.2010

उक्त शख्स नन्दकिशोर पुत्र श्री रामसहाय जाति कोली उम्र 41 वर्ष निवासी पुराने सिनेमा के पीछे नागौरी मौहल्ला दौसा जिला दौसा जुआ-सट्टा करने एवं कराने के दुष्प्रेरण में लगा हुआ है जिससे इलाके में व्यक्तियों की सम्पत्ति को नुकसान हो रहा है। जिससे समाज में अशान्ति व भय उत्पन्न हो गया। यह व्यक्ति लोगो को डराता धमकाता है। आम लोग भय के कारण इसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करते है ना ही गवाही देते है। उक्त गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) 5 के अन्तर्गत गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन की कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल स्वयं उपस्थित आया। गैर सायल एवं लोक अभियोजक की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल के विरुद्ध पांच मुकदमे थाना कोतवाली दौसा में दर्ज होकर गैर सायल को सजा हो चुकी है। उक्त शख्स राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत अभ्यस्थ अपराधी होना पाया जाता है, जो जूम करने का अभ्यस्थ हो गया है। जो कि जुआ-सट्टा करने एवं कराने के दुष्प्रेरण में लगा हुआ है जिससे इलाके में व्यक्तियों की सम्पत्ति को नुकसान हो रहा है। गैर सायल का स्वच्छन्द रहना समाज के लिये संकटमय हो गया है। गैर सायल नन्दकिशोर पुत्र श्री रामसहाय जाति कोली उम्र 41 वर्ष निवासी पुराने सिनेमा के पीछे नागौरी मौहल्ला दौसा जिला दौसा के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज होकर विगत वर्षों में पांच अपराधों में सजा हुई है।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
दौसा



Web Copy - Not Official

प्र. सं. : 21/2015, गुण्डा एक्ट

गैर सायल अपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त रहने एवं शान्ति भंग करने का आरोपी है। गैर सायल के उक्त कृत्यों के कारण सार्वजनिक स्थानों पर भय व्याप्त है। गैर सायल नन्दकिशोर पुत्र श्री रामसहाय जाति कोली उम्र 41 वर्ष निवासी पुराने सिनेमा के पीछे नागौरी मौहल्ला दौसा जिला दौसा अपनी अपराधिक गतिविधियों के कारण राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। गैर सायल नन्दकिशोर पुत्र श्री रामसहाय जाति कोली उम्र 41 वर्ष निवासी पुराने सिनेमा के पीछे नागौरी मौहल्ला दौसा जिला दौसा को जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है।

गैर सायल ने जवाब बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी गुण्डा एक्ट जैसी किसी गतिविधि में संलिप्त नहीं रहा है। प्रार्थी के विरुद्ध जो पांच मुकदमों का विवरण दिया गया है उनके सम्बन्ध में प्रार्थी का यह निवेदन है कि प्रार्थी ने कभी कोई जुआ नहीं खेला है। प्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है जो मेहनत-मजदूरी कर अपनी आजीविका चलाता है। प्रार्थी के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों को करीब दस वर्ष का समय हो गया है इस अवधि में प्रार्थी के विरुद्ध किसी अन्य अपराध का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है प्रार्थी यह आश्वस्त करता है कि भविष्य में इस प्रकार के मामलों से अपनी दूरी बनाकर रखेगा। गैर सायल द्वारा उसके विरुद्ध संचालित गुण्डा एक्ट की कार्यवाही को समाप्त करने का निवेदन किया गया।

बहस लोक अभियोजक व गैर सायल पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल नन्दकिशोर पुत्र श्री रामसहाय जाति कोली उम्र 41 वर्ष निवासी पुराने सिनेमा के पीछे नागौरी मौहल्ला दौसा जिला दौसा उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। गैर सायल के विरुद्ध पूर्व में दर्ज पांच मुकदमों में गैर सायल को सजा भी हो चुकी है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समाज में सद्भावना एवं शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सकें।

उपरोक्त विवेचनानुसार इस्तगासा स्वीकार किया जाकर गैर सायल नन्दकिशोर पुत्र श्री रामसहाय जाति कोली उम्र 41 वर्ष निवासी पुराने सिनेमा के पीछे नागौरी मौहल्ला दौसा जिला दौसा को दिनांक 13.09.2021 से 15 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल लालसोट के रास्ते होते हुए थाना सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी सवाईमाधोपुर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थाना अधिकारी थाना सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं सवाईमाधोपुर को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

( आर. के. मीना )  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह निर्णय आज दिनांक 13.09.2021 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तर्कमील दाखिल दफ्तर हो।



( आर. के. मीना )  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा